

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

1176

// विविध आदेश //

क्रमांक...24.../
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 01/02/2024

1. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं सूची क्रमांक	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री दिलीप सिंह, 11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. टी0डी0आर0 क-01-14 2. पासबुक क-01-03 3. आवेदन पत्र क-01-05	श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री, षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
		1. दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक-127/2023 संतोष कुशवाहा वि0 हर्षवर्धन सिंह उर्फ पिंटू	श्री संतोष कुमार तिवारी, 14वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
2.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड (रिक्त न्यायालय)	अपंजीकृत सिविल प्रकरण क्रमांक-01 से 44 तक	श्रीमती पद्मिनी सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा

2. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय विविध आदेश क्रमांक-16/दो-15-3/90 रीवा, दिनांक 01.02.2024 में निम्नलिखित न्यायालयों में हुए अंतरण में आंशिक संसोधन किया जाता है:-

(क) श्री विक्रम सिंह द्वितीय जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा प्रेषित क्लेम प्रकरणों के अंतरण योग्य सूची के सरल क्रमांक-10 पर अंकित प्रकरण का श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री षष्ठम जिला न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में हुए अंतरण को निरस्त किया जाता है।

(ख) श्री विवेकानंद त्रिवेदी पंचम जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा प्रेषित क्लेम प्रकरणों के अंतरण योग्य सूची के सरल क्रमांक-14 पर अंकित प्रकरण का श्री शशांक खरे 10वें जिला न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में हुए अंतरण को निरस्त किया जाता है।

(ग) श्री दिलीप सिंह 11वें जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा प्रेषित क्लेम प्रकरणों के अंतरण योग्य सूची के सरल क्रमांक-38, 39, 40, 44, 62 एवं 223 पर अंकित प्रकरण का संतोष तिवारी, 14वें जिला न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में हुए अंतरण को निरस्त किया जाता है।

(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0...761.../
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 01/02/2024

प्रतिलिपि:-

- द्वितीय/पंचम/षष्ठम/10वें/11वें/14वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा।
- तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा को निर्देशित किया जाता है कि सूची अनुसार प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय से प्राप्त/प्रेषित करना/सुनिश्चित करें।
- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
- जू0सि0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)